न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 24/2024 बउनवानी देवीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा
पुत्र सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/64

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

26.6.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5.3.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. ख0न0 590 रकबा 0.0100 है0 गै0मु0 बाडा वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा का नामा0 प्रभूलाल, हजारी,केलाश के नाम खोलने बाबत दिनों 20.2.2024 को दिये गये प्रार्थना पत्र की पालना मे खोले गये नामा0 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःभू0अ0/2024/477 दिनांक 21.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.3.2024 मे (प्रार्थना पत्र दिनांक 20.2.2024 पर की गयी कार्यवाही के संबंध में) चाही गयी सूचना (कुल 1 पृष्ठ की) तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 476 दिनांक 21.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.3.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 20.2.2024 पर की गयी कार्यवाही की) तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 476 दिनांक 21.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। उक्त विवेचन के अनुसार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner